

**OFFICE OF THE DEPUTY CONSERVATOR OF FOREST NCS DHOLPUR**

S.No:- ~~1870~~ 1870

Date:- 13/08/2024

Chief Conservator of Forest  
RTR Swaimadhopur

**Subject:** Diversion of Forest land for "Kaliteer Lift Scheme, District - Dholpur in the State of Rajasthan." **Forest diversion Proposal No. - FP/RJ/WATER/153642/2022.**

**Reference:** office of Principal chief conservator of forest (Nodal Officer) Jaipur Letter No. 2016 Dated 24.07.2024

Sir,

In reference to the above sited subject that observations raised by Principal chief conservator of forest (Nodal Officer) Jaipur on diversion of forest land proposal for Kaliteer Lift Scheme Dholpur on dated 24.07.2024. After following this, the compliance report is presented for your ready reference and further necessary action please.

Point No.	EDS Raised	Reply
1.	मुख्य वन संरक्षक रण0 बाघ परि0 सवाईमाधोपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में पार्ट III नही भरा गया है।	उक्त बिन्दु मुख्य वन संरक्षक रण0 बाघ परि0 सवाईमाधोपुर कार्यालय से संबन्धित है।
2.	उप वन संरक्षक, व0 जी0, धौलपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न नही की गयी है।	निर्धारित प्रपत्र में स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न कर दी गयी है।
3.	पार्ट II में संलग्न वृक्ष गणना पत्रक (जो कि वर्ष 2022 में बनाया) के आधार पर 23582 वृक्ष होना पाया गया है जबकि पार्ट II में 1296 वृक्ष ही अंकित किया गया है। नवीन वृक्ष गणना रिपोर्ट संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	नवीन वृक्ष गणना रिपोर्ट संलग्न कर दी गयी है।
4.	उप वन संरक्षक द्वारा अपनी वन्यजीव टिप्पणी में मिटिगेट मेजर्स के साथ प्रस्ताव में अभिषंषा की गयी किन्तु मिटिगेट मेजर्स के बारे में कोई खुलासा नही किया गया है।	मिटिगेशन मिजर्स की पालना सम्बंधित से करवा ली जावेगी।
5.	उप वन संरक्षक द्वारा गैर वन भूमि का स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नही किया गया है। विभागीय बेबपोर्टल पर उपलब्ध के0एम0एल0 फाइल अनुसार प्रस्तावित गैर वन भूमि (NFL) वन क्षेत्र में पड रही है। उप वन संरक्षक स्पष्ट करें।	उक्त बिन्दु की पालना में अवगत करवाना है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का आवंटन जिला कलक्टर धोलपुर द्वारा जरिये पत्र क्रमांक प0 12/12(19) राजस्व /2022/8 दिनांक 4/1/2023 को किया गया है। प्रति संलग्न वन भूमि की डीजीटल सीमाओं में अन्तर के कारण आवंटित गैर वन भूमि वन विभाग की सीमा में होना प्रदर्शित हो रहा है। तथा वनखंड झिरी की सीमाओ के अन्दर अन्य खातेदारी भूमियाँ भी है उन्ही में से यह भूमि आवंटित की गयी है। गैर वन भूमि का स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
6.	प्रस्तावित वन भूमि में वनस्पति आच्छादन अच्छा है ऐसी स्थिति में प्रस्तावित गैर वन भूमि में 1000 पौधे लगाया जाना संभव नही है। ऐसी स्थिति में गैर वन भूमि में कितने वृक्ष लगाये जावेंगे एवं अवशेष वृक्ष कहाँ	चूँकि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित गैर वन भूमि 9.5611 ha है तथा आवंटित गैर वन भूमि 14.8859 ha आवंटित की गयी है। जिसमे उक्त पौधे लगाये जा सकते है।

	लगाये जावें। उक्त की KML file, GT Sheet, DGPS map and Sutaibility Certificate दिया जाना प्रस्तावित है।	
7.	एन0पी0वी0 की गणना छत्र घनत्व अनुसार नहीं की गयी है। राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य में स्थित गैर वन भूमि की एन0पी0वी0 राशि की गणना नहीं की गई है।	संशोधित कर सलग्न कर दिया गया है।
8.	प्रस्तावित वन भूमि का गजट नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न नहीं है।	सलग्न कर दिया गया है।
9.	यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत विकल्प विवरण में दो वन मंडल के नाम तथा एन0सी0एस0 एवं धौलपुर वन्यजीव टेराटोरियल डिविजन लिखा है जबकि प्रस्ताव में वन मंडल एक है एवं दो व0जी0 अभयारण्य है।	यूजर एजेन्सी द्वारा पालना कर दी गयी है
10.	प्रस्ताव में वन्यजीव प्रस्ताव अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव में राष्ट्रीय वन्यजीव मण्डल की 72वी बैठक दिनांक 25.04.2023 में उक्त प्रस्तावित को डेफर कर दिया गया था। वस्तु स्थिति से अवगत कराया जावे।	यूजर एजेन्सी द्वारा पालना कर दी गयी है

  
 (Nahar Singh Sinsinwar)  
 Deputy Conservator of Forest  
 National Chambal Wildlife Sanctuary  
 राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य  
 धौलपुर